अत्यावश्यक

नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन, 2025

पत्रांक - न.नि. 50-05/2025 - 2705

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।
पटना, पूर्वी चम्पारण एवं रोहतास।

पटना, दिनांक - 13.06.2025

विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन,2025 – वरिष्ठ नागरिक,शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिला एवं अप्रवासित मजदूर जैसे मतदाता द्वारा सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से e-voting System का उपयोग करने हेतु दिशा निर्देश।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2228 दिनांक 24.05.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा 6 नगरपालिकाओं यथा– नगर पंचायत, मेहसी, पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण), नगर पंचायत, कोचस (रोहतास) तथा नगर पंचायत, खुशरूपुर, नौबतपुर एवं विक्रम (पटना) का आम निर्वाचन कराये जाने का निदेश दिया गया है। जिसमें प्रत्येक नगरपालिका में तीन पदों यथा वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद तथा मुख्य पार्षद पद हेतु निर्वाचन होंगे।

2. **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ZA एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 2(90) सहपठित धारा–14 के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में स्वतंत्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ नगरपालिका निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने का दायित्व है।**

उक्त आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं उत्तरदायित्वपूर्ण सहभागिता के साथ निर्वाचन कराये जाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। इस हेतु विगत निर्वाचन में कई नवाचार यथा- शत्-प्रतिशत डिजीटाईजेशन, मतदान केन्द्र पर मतदाताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन. एफ.आर.एस. का उपयोग, बज्रगृह में डिजिटल लॉक का उपयोग, मतगणना में ए.आई. (आर्टिफिसियल ईंटेलिजेंस) आधारित सफ़्टवेयर ओ.सी.आर. (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉगनिशन) का उपयोग किया गया है। जिससे निर्वाचन जैसे संवेदनशील विषय में दूरगामी प्रभाव पड़ा है तथा मतदाताओं के बीच विश्वसनीयता बढ़ी है। **इसी क्रम में वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिला** एवं **अप्रवासित मजदूर जैसे मतदाता** शारीरिक रूप से मतदान केन्द्र पर आने में अक्षम हैं, मतदान में उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से **सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान e-voting System के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है।** यह

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

पूर्णतः **स्वैच्छिक (Voluntary)** विकल्प है। ई.वोटिंग प्रक्रिया द्वारा मतदान करने का चयन करने हेतु मतदाता द्वारा अपना Consent दिया जायेगा। उसके बाद ही वे इसमें भाग ले पायेंगे।

उल्लेख करना अनिवार्य है कि ई.वोटिंग प्रणाली का उपयोग नगरपालिका निर्वाचन के निमित्त भारत वर्ष में प्रथम वार की जा रही है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। वर्तमान में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या का 10 प्रतिशत द्वारा ई.वोटिंग प्रक्रिया का उपयोग में लाये जाने की संभावना है।

मतदान का प्रतिशत बढ़ाने एवं प्रत्येक मतदाता को उनके मत का मूल्य पहचानने के लिए सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम 85 में नगरपालिका निर्वाचन हेतु ई.वी.एम. एवं ई.वोटिंग द्वारा मतदान करने का प्रावधान किये गये हैं, जो निम्नवत् है :-

Rule 85 (2) e-voting- In case of use of electronic devices, other than electronic voting machines, such as laptops, palmtops, android/ IOS based Smart Phone, servers etc; voting, recording and counting of votes, recorded voting stored on the server procedure of encrypted security for locking bye use and declaration of result will be specified by the State Election Commission.

Provided that as far as practicable, where electronic devices , other than electronic voting machines will be used for voting. a hard copy of all the data shall be made in the same manner as the data relating to different candidate is displayed in the server and on that copy, and the signatures of all the present candidates or their Election Agent and Returning Officer will be kept in a gauzed envelope. At the same time the said data will also be copied to the external hard disc in an uneditable format. The signed hard copy and the copied hard-disc together with the secret seal specially supplied by the State Election Commission to each Returning Officer shall be kept in the custody of the District Returning Officer. The custody and destruction of the said seal envelope will be done under rule 89. The secret seal supplied by the Commission will be returned to the Commission without fail within 36 hours of the declaration of the election result.

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कई मतदाता विभिन्न कारणों से अपने मत का प्रयोग करने से बंचित रह जाते हैं, जिससे आयोग द्वारा इतनी सुदृढ़ व्यवस्था के बावजूद मतदान के प्रतिशत में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाती है। कोई भी मतदाता जैसे – वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिला एवं अप्रवासित मतदाता जैसे मजदूर अपने मताधिकार से वंचित न हो, इसी उद्देश्य से सुविधा प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा ई.वोटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी। इस हेतु प्राथमिक रूप से लक्षित समूह निम्नवत् हैः-

1. वृद्ध मतदाता – मतदाता सूची के अनुसार 80+ आयु के मतदाता (मतदाता सूची के अनुसार)
2. दिव्यांग मतदाता – वैसे मतदाता जो अस्थि विकलांग हैं एवं उन्हें सिविल सर्जन के स्तर से प्रमाण-पत्र प्राप्त है।
3. असाध्य रोग से पीड़ित मतदाता – वैसे मतदाता जो असाध्य रोग यथा लकवा, कैंसर पीड़ित, पूर्ण विकलांग अथवा दुर्घटना आदि के कारण शय्या पर हो एवं मान्यता प्राप्त अस्पताल का इलाज संबंधी पर्ची/प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
4. गर्भवती महिला मतदाता – वैसी गर्भवती महिला मतदाता जो चलने में असमर्थ हों एवं गर्भवती होने का प्रमाण/ पुर्जा उपलब्ध हो।
5. अप्रवासी मतदाता – वैसे मतदाता जो सरकारी/निजी कम्पनी में कार्यरत हो एवं मतदान के दिन उनका कार्यालय उक्त निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं हो, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परिचय पत्र उपलब्ध हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मतदाता भी इच्छानुसार निबंधन करा सकते हैं परन्तु उपरोक्त 5 श्रेणियों के मतदाता को प्राथमिकता दी जायेगी।

D:\pm5\NGR_Bye_E_23.pmd\170

ई.वोटिंग के संचालन में मुख्य रूप से निम्न तकनीकी एवं कानूनी पहलूओं का अनुपालन किया गया है :-

1. Data Storage
2. Data Security & Privacy
3. Data Retention Policy
4. Secrecy of vote
5. IT Act & DPDP Act, 2023

मतदान के निमित्त मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करना अथवा जो मतदान केन्द्र पर जाकर मत देने में अक्षम हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ई.वोटिंग प्रणाली का चुनाव (Opt) कर मत देने की सुविधा दी गई है। उल्लेखनीय है कि ई.वोटिंग प्रणाली का उपयोग करना स्वैच्छिक (Voluntary) है। **ई.वोटिंग प्रणाली का चुनाव (Opt) करने पर उन मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाकर मत देने की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।**

ई.वोटिंग द्वारा मतदान करने के संबंध में जानकारी समाचार पत्र एवं सोशल मिडिया के माध्यम से तथा निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा दी जायेगी।

ई.वोटिंग के कार्यकलाप में मुख्यतः तीन अवयव हैं –

1. मतदाता का निबंधन (Registration)
2. ई.वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान करना; तथा
3. प्राप्त मतों की मतगणना।

उपरोक्त कार्य में मुख्यतः निम्न हितकारक (Stakeholder) हैं:-

1. मतदाता;
2. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी;
3. निर्वाची पदाधिकारी;
4. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका);
5. राज्य निर्वाचन आयोग।

मतदाता द्वारा ई.वोटिंग हेतु **निबंधन दिनांक 16.06.2025 से आरम्भ** होगा जो **दिनांक 23.06.2025 तक** किया जा सकेगा। **मतदान हेतु निर्धारित तिथि यानि दिनांक 28.06.2025 को प्रातः 7.00 बजे अपराह्न 1.00 बजे** तक ई.वोटिंग द्वारा मतदान किया जायेगा।

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पूर्व से सर्वे कर मतदाता को चिह्नित की गई है, जो प्राथमिकता के आधार पर अपना निबंधन करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य मतदाता भी ई.वोटिंग प्रणाली से अपना निबंधन कर सकते हैं, जिसे First Come First Serve के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

मतदान पूर्व निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित मतपत्र को DSC के माध्यम से सत्यापित कर मतदान हेतु निर्गत किया जायेगा। मतदान तिथि को ई.वोटिंग प्रणाली प्रक्रिया का डैश बोर्ड के माध्यम से अनुश्रवण किया जायेगा। जिसमें निबंधित मतदाता द्वारा मतदान का उपयोग किया जा रहा है कि उपस्थिति तथा VTR आदि है।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को ई.वोटिंग हेतु चयनित मतदाता की सूची निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ बैठक कर ई.वोटिंग प्रणाली के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

- ई.वोटिंग एप के माध्यम से मतदाता पंजीकरण एवं मतदान से संबंधित ''**उपयोगकर्त्ता मार्गदर्शिका**'' पत्र के साथ संलग्न है फिर भी ई.वोटिग प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिये गये हैं, जो निम्नवत् है :-

● मतदाता द्वारा ई.वोटिंग हेतु निबंधन (Registration)

1. निबंधन हेतु पात्रता –

(क) वृद्ध मतदाता
(ख) दिव्यांग मतदाता
(ग) असाध्य रोग से पीड़ित मतदाता
(घ) गर्भवती महिला मतदाता
(ङ) अप्रवासी मतदाता
(च) अन्य

2. मोबाईल का मॉडल एवं विशिष्टियाँ –

स्मार्ट फोन (एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण 10.x (मार्शमैलो) या उससे ऊपर, आन्तरिक मेमोरी 150 MB खाली न्यूनतम, रैम 2 जी.वी. न्यूनतम, फ्रन्ट कैमरा 2 MP या उससे ऊपर, मोबाईल में सक्रिय सिम कार्ड, 4जी इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध तथा मोबाईल का बैटरी चार्ज हो।

3. प्रक्रिया –

- सर्वप्रथम मोबाईल फोन के माध्यम से Google Play Store से **eVoting SECBHR app** से डाउनलोड किया जा सकता है। निम्न लिंक से भी एप डाऊनलोड किया जा सकता है :-

  https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.bsecevote&hl=en

- e-voting app खोलने के बाद ई.वोटिंग 'पंजीकरण' शीर्षक कर क्लिक करेंगे।

- मोबाईल स्क्रीन पर अंकित निर्देश को ध्यान से पढ़े ताथा जारी रखने के लिए ''ठीक है/OK''

- पंजीकरण से पहले मतदाता को ई.वोटिंग प्रक्रिया के लिए अपना 'सहमति' (Consent) हेतु ''पुष्टि'' बटन क्लिक करेंगे।

- इसके बाद मतदाता अपना पहचान संख्या (EPIC) सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करेंगे। तत्पश्चात मतदाता अपना मोबाईल संख्या प्रविष्ट करेंगे जिससे OTP प्राप्त होगी। जिसे प्रविष्ट करने पर मोबाईल डिवाईस सत्यापित होगा।

- अब मोबाईल स्क्रीन पर मतदाता का विवरण दिखेगा। यदि सही है को ''पुष्टि करें'' बटन को क्लिक करेंगे। इस प्रकार मतदाता का सत्यापन हो जायेगा।

- अब मतदाता सेल्फी द्वारा अपना फोटो निर्धारित पैटर्न के अन्दर रखते हुये लिया जायेगा। सेल्फी लेने के निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इस हेतु Submit बटन पर क्लिक किया जायेगा। फोटो प्रक्रिया पूर्ण होने पर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।

- पंजीकरण की पुष्टि मतदाता को मोबाईल के स्क्रीन पर तत्क्षण दिखेगा तथा सूचना SMS के माध्यम से प्राप्त होगी।

- पंजीकरण पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिक्रिया अंकित करने का प्रावधान हैं, मतदाता अपनी इच्छानुसार प्रतिक्रिया प्रविष्ट करेंगे।
- एक मोबाईल पर अधिकतम दो मतदाता का रजिस्ट्रेशन होगा।
- एक मतदाता के ई.वोटिंग निबंधन के उपरान्त दूसरे मतदाता के लिए पुनः नये मतदाता पहचान पत्र (EPIC) की प्रविष्टि कर पुनः उसी प्रक्रिया से निबंधन की जा सकती है।
- **ध्यातव्य** – जिस मोबाईल तथा मोबाईल संख्या से रजिस्ट्रेशन किया जायेगा उसी मोबाईल तथा मोबाईल संख्या के माध्यम से ही मतदान किया जा सकेगा।

● **निर्वाची पदाधिकारी का कर्त्तव्य (मतदाता निबंधन के क्रम में)**

- इन्टरनेट की सुविधा सुचारू रहे, इस हेतु निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर इंटरनेट सेवा प्रदाता, यथा BSNL, JIO, Airtel आदि के साथ बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।
- एप्प के माध्यम से मतदाता अपना पंजीयन की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं।

● **ई.वोटिंग हेतु निबंधन उपरान्त निबंधित मतदाता सूची चिह्नित होने के उपरान्त मतदाता सूची का मुद्रण**

- निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ई.वोटिंग हेतु निबंधित मतदाताओं की स्वीकृति उपरान्त चिह्नित मतदाता सूची का पी.डी.एफ तैयार किया जायेगा जिसे मुद्रण कराकर संबंधित पीठासीन पदाधिकारी को मतदान कार्य सम्पन्न कराने के निमित्त दिनांक 26.06.2024 को मतदान सामग्री के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- ई.वोटिंग विकल्प का चयन करने वाले मतदाता को मतदाता सूची में चिह्नित किया गया है। इस आशय से पीठासीन को प्रशिक्षण के क्रम में अवगत करा दी जायेगी।

मतदान के दिन

● **मतदान हेतु पहचान की प्रक्रिया**

- रजिस्टर्ड मोबाईल पर पूर्व से डाउनलोड किये गये एप के माध्यम से मतदान किया जायेगा।
- ई.वोटिंग एप को खोलने के उपरान्त 'वोट' बटन पर क्लिक करेंगे।
- ई.वोटिंग प्रक्रिया हेतु डाटा साझा करने के लिए अपना 'सहमति' (Consent) हेतु ''पुष्टि'' बटन क्लिक करेंगे।
- इसके बाद मतदाता अपना पहचान संख्या (EPIC) सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करेंगे। तत्पश्चात मतदाता अपना मोबाईल संख्या प्रविष्ट करेंगे जिससे OTP प्राप्त होगी। जिसे प्रविष्ट करने पर मोबाईल डिवाईस सत्यापित होगा।
- अब मतदाता सेल्फी द्वारा अपना फोटो निर्धारित पैटर्न के अन्दर रखते हुये लिया जायेगा। सेल्फी लेने के निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इस हेतु Submit बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- अब मोबाईल स्क्रीन पर मतदाता का विवरण दिखेगा। यदि सही है को ''पुष्टि करें'' बटन को क्लिक करेंगे। इस प्रकार मतदाता का सत्यापन हो जायेगा।

● **ई.मतपत्र प्राप्त करने एंवं मतदान की प्रक्रिया**

- मतदाता पुष्टि होने के उपरान्त मतदान हेतु पदवार डिजिटल मतपत्र प्रदर्शित होगा। पदवार मतपत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित पद के ऑप्शन पर एक-एक कर क्लिक करेंगे जिससे डिजिटल मतपत्र दिखेगा।

- प्रत्येक पद के लिए मतपत्र अधिकतम 5 मिनट के लिए दिखेगा। इस अवधि में यथाशीघ्र मतदान कर दें।
- ई-मतपत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के नाम के सामने निर्वाचन प्रतीक के पास स्थित ऑप्सन को चुनने के पश्चात Save बटन पर क्लिक करेंगे।
- मतदाता द्वारा दिये गये सभी मत की पुष्टि Confirm करने एवं आश्वस्त होने के लिए वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की भाँति ई-मतपत्र पर डाले गये डिजिटल मत प्रदर्शित होगा।
- मतदान पूर्ण होने की सूचना मोबाईल के स्क्रीन पर वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की तरह 20 सेकेन्ड तक दिखेगा तथा इसकी सूचना SMS के माध्यम से भी मतदाता को प्राप्त होगा।
- ई.वोटिंग निबंधन यदि एक मोबाईल पर दो मतदाता के लिए किया गया है तो एक मतदाता द्वारा मत का प्रयोग करने के उपरान्त दूसरे मतदाता द्वारा पुनः उसी प्रक्रिया को दुहराकर मत का प्रयोग कर सकेंगे।

● दिये गये मत की सुरक्षा –

- दिये गये मत की सुरक्षा Block Chain प्रणाली के साथ-साथ दोहरी कूटलेखन (Dual Encryption) द्वारा होगी। जिससे दिये गये मत की पूर्ण गोपनीयता अपरिवर्तनीय, फुलप्रुफ तथा छेड़छाड़ रहित होगी।
- मतदान के दिन जिस प्रकार मतदाताओं की उपस्थिति मतदान केन्द्र पर दर्ज होती है उसी प्रकार ई.वोटिंग प्रणाली के उपयोग किये गये मतदाता की उपस्थिति विवरणी (ई.वोटिंग प्रणाली का उपयोग करने वालों की सूची) डैशबोर्ड के माध्यम से निर्वाची पदाधिकारी को ज्ञात होगा कि किस मतदाता द्वारा मतदान किया गया। परन्तु किस अभ्यर्थी के पक्ष में मत दिया गया है इसकी जानकारी किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

- **मत की गोपनीयता** – मतदाता द्वारा दिये गये मत की गोपनीयता सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेवारी मतदाता की होगी।
- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 458 में प्रावधान निम्नवत् है :-

  धारा 458 - मतदान की गोपनीयता बनाए रखना – (1) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों की गणना उसके अभिलेखन करने के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को (किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकृत किसी प्रयोजन के अलावा) गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जिससे इसकी गोपनीयता भंग होगी।

  (2) कोई व्यक्ति जो उप धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तीन माह के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
- ई.वोटिंग के माध्यम से मतदान के के उपरान्त यदि कोई मतदाता पुनः मतदान केन्द्र पर मत देने प्रयास करता है तो उसे FRS (Face Recognition System) के माध्यम से पकड़ लिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) एवं अन्य की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
- Cyber Cafe द्वारा मतदान के दिन ई.वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित गड़बड़ी करते हुए पाये जाने के स्थिति में उनके विरूद्ध Cyber Act के साथ-साथ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) एवं अन्य की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
- साथ ही **BharatiyaNayaySanhita,2023 (BNS) and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023** एवं भी निम्नवत् लागू होगा :-

- Relevance: Sections of the BharatiyaNayaySanhita,2023 (BNS) related to cheating (section 318), impersonation (section 319), and tampering with records are applicable to the misuse or fraudulent use of e-voting systems.
- Enforcement: Violations related to e-voting can be prosecuted under the BNS and BNSS with penalties for those found guilty of tampering with election data or systems.

● ***मतगणना की प्रक्रिया***

- *मतगणना की निर्धारिति तिथि को निर्धारित समय पर ही ई.वोटिंग का पोर्टल खोले जाने की व्यवस्था आयोग द्वारा की गई है। उससे पूर्व उसे किसी भी स्थिति में खोला नहीं जा सकेगा। जिस प्रकार वज्रगृह में मतदत्त ई.वी.एम. सुरक्षित रहता है उसी प्रकार ई.वोटिंग से दिया गया मत सुरक्षित रहेगा।*
- *मतगणना के दिन सर्वप्रथम ई.वोटिंग से प्राप्त मतों की गणना होगी।*
- *निर्वाची पदाधिकारी द्वारा* DSC *डिजिटल हस्ताक्षर से ई.वोटिंग पोर्टल को खोला जायेगा।*
- *उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता के समक्ष ई.वोट के माध्यम से अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की गणना एवं उद्‌घोषणा की जायेगी।*
- *ई.वोटिंग से वार्डवार प्राप्त मतों की विवरणी प्रपत्र-24 (क)(1) में पी.डी.एफ. के रूप में प्राप्त होगी। जिसका प्रिन्ट लेकर निर्वाची पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे तथा मतगणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/ गणन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।*
- *हस्ताक्षरित प्रपत्र-24 (क)(1) को निर्वाची पदाधिकारी सुरक्षित रखा जायेगा।*

● ***अन्तिम मतगणना परिणाम***

- *ई.वी.एम. से प्राप्त मतों की मतगणना सम्पन्न होने के उपरान्त प्रपत्र-24 (क)(1) ई.वोटिंग से प्राप्त मतों अभ्यर्थीवार सम्मिलित कर अन्तिम निर्वाचन परिणाम पत्र विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा।*
- *तत्पश्चात निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विधिवत रूप से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी एवं निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण-पत्र हस्तगत कराया जायेगा।*

● ***मतगणना उपरान्त की जाने वाली कार्रवाई***

◆ *इसके साथ ही उक्त डेटा को अनऐडिटेबल* (Read Only) *फार्मेट में डी.वी.डी. में पदवार दो प्रति में कॉपी कर ली जायेगी। उक्त ई.वोटिंग से संबंधित परिणाम पत्र की हस्ताक्षरित कॉपी को ई.वी.एम. से प्राप्त डाटा संबंधी कॉपी के साथ-साथ डी.वी.डी. को गॉज लिफाफे में बन्द कर सुरक्षित रखी जायेगी।*

◆ *उस गॉज लिफाफा पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को आपूरित सेक्रेट सील से सीलबंद कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रख दिया जायेगा।*

◆ *उक्त सील बंद लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टिकरण की कार्रवाई बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 89 के अधीन की जायेगी। जो निम्नवत् हैं :-*

धारा - 89 - पैकेटों का विनष्टीकरण – (1) उपर्युक्त पैकेट एक साल की अवधि तक रखे जायेंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 476 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के अध्यधीन नष्ट कर दिये जायेंगे।

2. निर्वाचन से संबंधित अन्य कागजात संबंधित वार्ड के लिये अगले सामान्य चुनाव सुरक्षित रखे जायेंगे

एवं राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 476 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के अध्यधीन नष्ट कर दिये जायेंगे।

● प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता

- चूँकि शहरी निकाय में निर्वाचन होना है, जहाँ पढ़े लिखे एवं मोबाईल फ्रेन्डली मतदाता होने की संभावना है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी अभ्यर्थियों की बैठक कर ई.वोटिंग से संबंधित पूरी प्रक्रिया को समझाने तथा प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- मतदाताओं के बीच प्रत्येक वार्ड अन्तर्गत प्रत्येक दिन निश्चित समय पर औडियो विडियो युक्त वाहन भेजे जायेंगे। जिसमें ई.वोटिंग से संबंधित पी.पी.टी. (स्लाईड), ई.वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित विडियो का प्रदर्शन किया जायेगा। यह कार्यक्रम वार्डवार न्यूनतम एक घंटे का होगा। रोस्टर एवं वाहन की संख्या इस प्रकार तैयार किया जाये कि प्रत्येक दिन नगरपालिका के सभी वार्ड में सम्पर्क हो सके।
- उक्त कार्य हेतु निर्वाचन से संबंधित एक पदाधिकारी, एक तकनीकी कर्मी तथा एक जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय का प्रचार-प्रसार से संबंधित कर्मी एवं एक स्थानीय बी.एल.ओ. प्रत्येक वाहन के साथ प्रतिनियुक्त की जाये। सभी प्रतिनियुक्त कर्मी अनिवार्य रूप से पहचान पत्र लगा कर रखेंगे।
- इस कार्यक्रम में उपस्थित मतदाताओं का हस्ताक्षर उपस्थिति पंजी में संधारित किया जायेगा।
- उपस्थित मतदाताओं के बीच ई.वोटिंग से संबंधित जानकारी के साथ-साथ ई.वोटिंग एप्प पर निबंधन हेतु सहायता (Hand Holding) प्रदान की जायेगी।
- उक्त कार्यक्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की किसी भी रूप में भागीदारी नहीं होगी।
- उक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रचार-प्रसार प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिका, नुक्कड़ नाटक, बैनर, जिंगल, रैली, निर्वाचन मैराथन दौड़ इत्यादि के माध्यम से की जायेगी।
- जिला प्रशासन द्वा भी इस संबंध में अन्य रचनात्माक क्रिया-कलापों के माध्यम से ई.वोटिंग से मतदान का प्रचार-प्रसार करेंगे।

● हेल्प-डेस्क-सह- शिकायत निवारण कोषांग

ई.वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु आयोग स्तर पर एवं निर्वाची पदाधिकारी स्तर पर 'हेल्प डेस्क -सह-शिकायत निवारण कोषांग' की व्यवस्था की जायेगी।

● अनुश्रवण व्यवस्था

- निर्वाची पदाधिकारी एवं राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर निबंधित मतदाताओं की सूची एवं जिन मतदाताओं ने ई.वोट का उपयोग कर लिया हो तो उसकी सूची पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्वाची पदाधिकारी स्तर से नोडल पदाधिकारी निबंधित मतदाताओं को दिनांक 28.06.2025 को नियंत्रण कक्ष के माध्यम से ई.वोट करने हेतु दूरभाष के माध्यम से प्रेरित करेंगे।
- मतदान तिथि को डैश बोर्ड के माध्यम से निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) तथा राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर ई,वोटिंग प्रक्रिया का संचालन एवं VTR का अनुश्रवण किया जायेगा।

● नोडल पदाधिकारी

- ई.वोटिंग संबंधी समस्त कार्यों के संचालन में निर्वाची पदाधिकारी के सहायतार्थ एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (ई.वोटिंग) की नियुक्ति की जायेगी।
- ई.वोटिंग का अनुश्रवण हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा अपर समाहर्त्ता स्तरीय पदाधिकारी को जिला स्तर पर तथा वरीय उप समाहर्त्ता स्तरीय पदाधिकारी को नगरपालिका स्तर पर एक-एक नोडल

पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाये तथा उनके सहायता हेतु एक तकनीकी पदाधिकारी को भी संलग्न किया जाये। जिला स्तर पर तकनीकी पदाधिकारी के रूप में आई.टी प्रबंधक या जिला सूचना पदाधिकारी/ अभियंता को संलग्न किया जायेगा।

- आयोग स्तर से ई.वोटिंग प्रणाली के संचालन हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री शंभु कुमार, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार प्राधिकृत पदाधिकारी हैं। साथ ही तकनीकी नॉडल श्री नितीश कुमार, आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार हैं।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अतिरिक्त इस विस्तृत दिशा-निर्देश में जो अतिरिक्त अनुदेश समाहित किये गये हैं, वे सभी अनुदेश बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 92 के तहत् प्रदत्त शक्ति के अधीन निर्गत है।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक : उपयोगकर्त्ता मार्गदर्शिका।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक – न.नि. 50-05/2025 – 2705 पटना, दिनांक - 13.06.2025

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक – न.नि. 50-05/2025 – 2705 पटना, दिनांक - 13.06.2025

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, पटना एवं तिरहुत (मुजफ्फरपुर) प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक – न.नि. 50-05/2025 – 2705 पटना, दिनांक - 13.06.2025

प्रतिलिपि राज्य सूचना पदाधिकारी, एन.आई.सी., बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संबंधित जिला सूचना पदाधिकारी (एन.आई.सी.) को ई.वोटिंग प्रणाली के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक -न.नि. 50-05/2025 – 2705 पटना, दिनांक - 13.6.2025

प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक -न.नि. 50-05/2025 – 2705 पटना, दिनांक - 13.6.2025

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

D:\pm5\NGR_Bye_E_23.pmd\177

उपयोगकर्त्ता मार्गदर्शिका

ई -वोटिंग SECBHR मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदाता पंजीकरण और मतदान

सीडैक
CDAC

प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक)

प्लाट नंबर :6 और 7, हार्डवेयर पार्क , सर्वे नंबर 1/1 , श्रीशैलम हाईवे , रविरयाल (वी एंड जीपी), वाया रगान्ना गुडा महेश्वरम (एम), रंगा रेड्डी जिला , हैदराबाद -501510, तेलंगाना राज्य

संशोधन इतिहास

संस्करण	तारीख	लेखक	योगदानकर्ताओं	समीक्षक	परिवर्तन के लिए कारण
1.0	01.06.2025	साईं कुमार यू अक्षय एम	अदिति बी	विजयलक्ष्मी बी ज्योत्सना जी	--
1.1	04.06.2025	अक्षय एम		विजयलक्ष्मी बी	कार्य प्रवाह में परिवर्तन
1.2	09.06.2025	अक्षय एम		विजयलक्ष्मी बी	ऐप के नाम में परिवर्तन

विषय-सूची:

दस्तावेज़ का दायरा 4
  लक्षित उपयोगकर्ता 4
  दायरा 4
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकताएँ 5
मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करें 6
ईवोटिंग SECBHR मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए पूर्वापेक्षाएँ 7
  सामान्य निर्देश 7
  पंजीकरण और मतदान के लिए आवश्यकताएँ 7
  भाषा चयन: 7
पंजीकरण प्रक्रिया 8
मतदान 13
सहायता 20

दस्तावेज़ का दायरा

लक्षित उपयोगकर्ता

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका को पात्र मतदाताओं (बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार) के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया गया है, ताकि वे अपने वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्मार्टफोन आधारित ई-वोट एप्लीकेशन का उपयोग करके पंजीकरण और मतदान करने के लिए ई-वोटिंग eVoting SECBHR मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकें।

दायरा

यह उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका योग्य मतदाताओं को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया बताकर एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करने का प्रयास करती है।

- ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकरण करें और
- eVoting SECBHR मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपना वोट डालें

पूर्वापेक्षाओं और निर्देशों को शामिल करने के लिए एक सहायता अनुभाग भी जोड़ा गया है।

जहां भी संभव हो, सुविधा और कार्यक्षमता को बेहतर ढंग से समझने में मदद के लिए स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए गए हैं।

प्रत्येक अनुभाग के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के रूप में समस्या निवारण युक्तियाँ भी शामिल की गई हैं।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकताएँ

एंड्रॉइड के लिए ई-वोटिंग SECBHR मोबाइल ऐप की स्थापना और उपयोग का समर्थन करने के लिए उपयोगकर्ता के मोबाइल डिवाइस के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं।

- एक स्मार्टफोन
- डिवाइस के इंटरनल एसडी कार्ड में 150 एमबी का खाली डिस्क स्थान। ऐप आमतौर पर डिवाइस की डिफ़ॉल्ट मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है।
- एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण- 10.x (मार्शमैलो) या उससे उपर
- 2 एमपी फ्रंट कैमरा या उससे अधिक
- 2GB रैम या उससे अधिक
- सक्रिय सिम कार्ड (SMS भेजने या प्राप्त करने के लिए)
- एक विश्वसनीय 4G इंटरनेट कनेक्शन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
1 ऐप का आकार कितना है? मोबाइल ऐप का आकार लगभग 70 एम.बी.है **2** क्या ई-वोटिंग SECBHR एक सुरक्षित ऐप है ? हाँ, मोबाइल ऐप में सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय लागू किए गए है।

मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करें

eVoting SECBHR ऐप को Google प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

ऐप डाउनलोड करने के लिए, यहाँ जाएँ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.bsecevote&hl=en

टिप्पणी:

- कृपया सुनिश्चित करें कि आप विश्वसनीय 4G इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं।
- कृपया सुनिश्चित करें कि आपने प्लेस्टोर से प्रामाणिक ईवोटिंग SECBHR मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है।

ईवोटिंग SECBHR मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए पूर्वापेक्षाएँ

सामान्य निर्देश

- मतदान के लिए प्रति डिवाइस केवल दो पात्र मतदाताओं को पंजीकरण की अनुमति होगी।
- रजिस्टर और वोट विकल्प क्रमशः मतदाता पंजीकरण और मतदान दिवस के लिए आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट तिथियों पर ही सक्षम होंगे।

पंजीकरण और मतदान के लिए आवश्यकताएँ

कृपया पंजीकरण से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित सभी चीजें **मौजूद** हैं

- आपको उस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र का पात्र मतदाता होना चाहिए जहां चुनाव होना है।
- एप्लिकेशन की सुचारू उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन।
- आपका EPIC (वोटर आईडी) नंबर.
- डिवाइस प्रमाणीकरण के लिए अपने वोटिंग स्मार्टफोन मोबाइल नंबर तक पहुंच।

भाषा चयन:

- eVoting SECBHR ऐप हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।
- ऐप की डिफ़ॉल्ट भाषा हिंदी है।
- ऐप का उपयोग करते समय उपयोगकर्ता किसी भी समय अपनी पसंदीदा भाषा पर स्विच कर सकते हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया

चरण 1. लाइव चुनावों का विवरण और उनके पंजीकरण और मतदान की तारीखें देखें

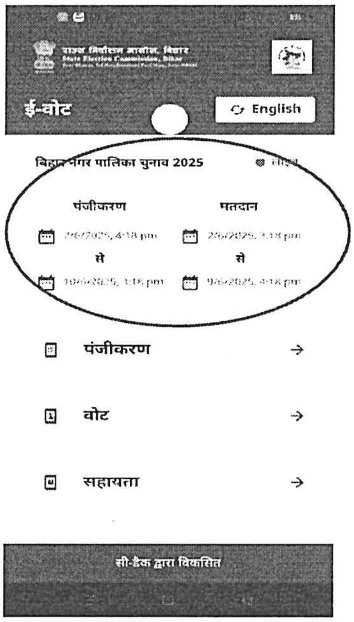

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
इस ऐप का उपयोग कौन कर सकता है? बिहार राज्य के मतदाता, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उनके वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचित चुनाव में ई-वोटिंग सेवा के भाग के रूप में पंजीकरण और मतदान के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

चरण 2. पंजीकरण बटन पर क्लिक करें

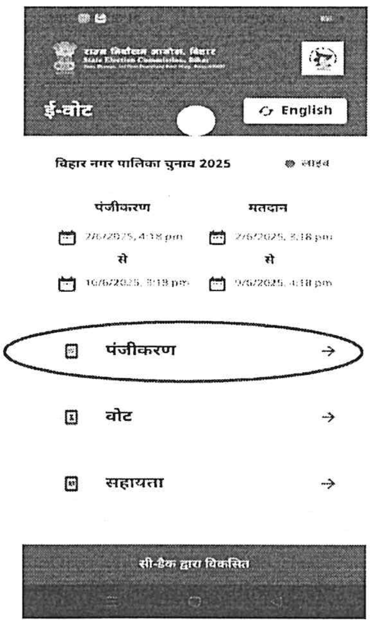

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
यदि ऐप में यह दिखाई दे तो मुझे क्या करना चाहिए: *"पंजीकरण विंडो खुली नहीं है"* कृपया लाइव चुनाव के लिए उल्लिखित पंजीकरण तिथियों की जांच करें। बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों पर ही पंजीकरण विंडो चालू रहेगी। केवल उन्हीं दिनों में पंजीकरण किया जा सकेगा।

चरण 3. निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जारी रखने के लिए “ओके” पर क्लिक करें

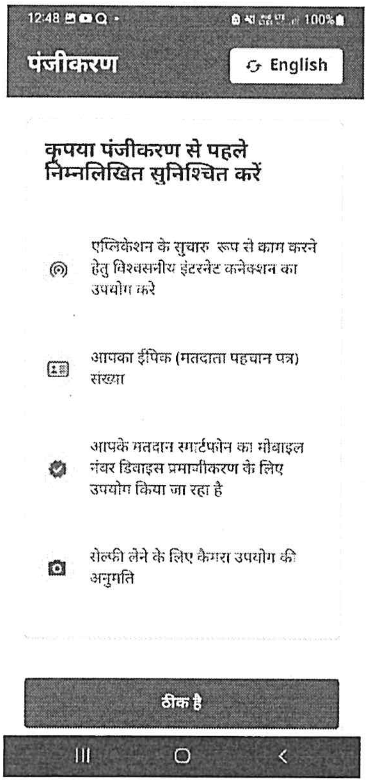

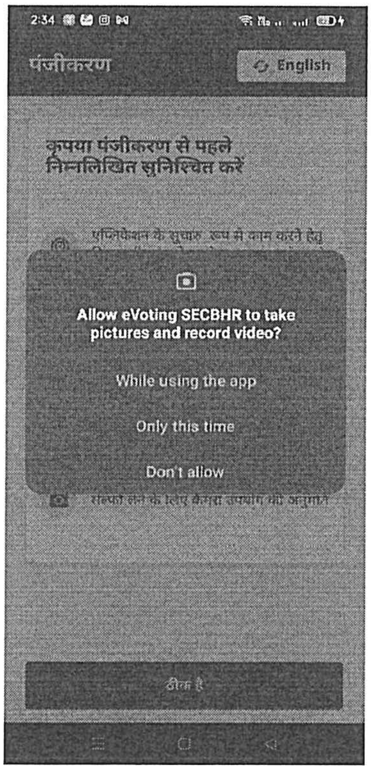

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
सेल्फी लेने के लिए कैमरा अनुमति क्या है? यह ऐप मतदाता प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए मतदाता की सेल्फी लेता है। जब ऐप कैमरा एक्सेस अनुमति की आवश्यकता पूछे, तो कृपया अनुमति देने के लिए 'अनुमति दें' पर क्लिक करें।

चरण 4 "पुष्टि करें" पर क्लिक करके डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें

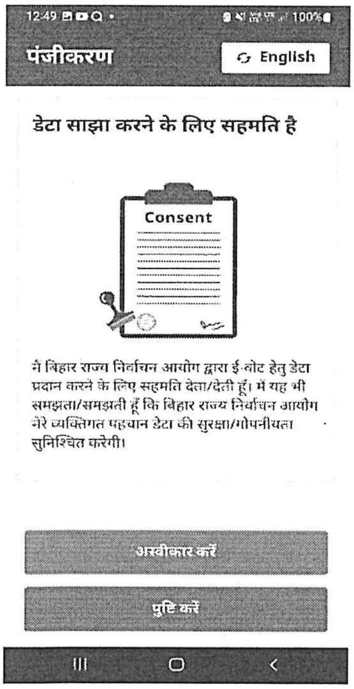

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
क्या इसके लिए सहमति प्रदान करना अनिवार्य है? ऐप का सेवाओं का उपयोग करने के लिए डेटा साझा करने हेतु आपकी सहमति देना अनिवार्य है।

चरण 5. मतदान स्मार्टफोन सत्यापन

- अपना EPIC नंबर (वोटर आईडी) सावधानीपूर्वक दर्ज करें, जैसा कि आपके EPIC कार्ड में दिया गया है।
- ई-वोटिंग हेतु पंजीकरण हेतु उपयोग किए जा रहे मोबाइल फोन में मौजूद अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और "सबमिट"पर क्लिक करें।
- आपके वोटिंग स्मार्टफोन के सफल सत्यापन पर, "डिवाइस प्रमाणित" संदेश दिखाई देता है।

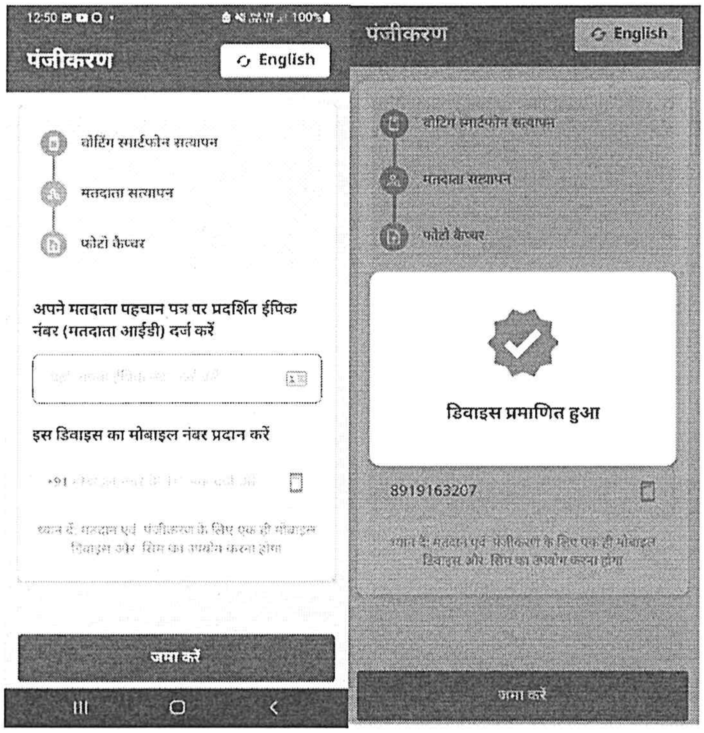

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

मुझे "ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ" संदेश मिल रहा है।
यदि आपको यह संदेश प्राप्त हो तो कृपया निम्नलिखित जांचें।

- क्या आपने सही फ़ोन नंबर दर्ज किया है.
- मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए तथा इंस्टॉल किए गए मोबाइल फोन में मौजूद होना चाहिए।
- मोबाइल नेटवर्क से संबंधित कोई समस्या नहीं है जो ओटीपी एसएमएस प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हो।

उपरोक्त किसी भी स्थिति की जांच के लिए "रद्द करें" दबाएं।
OTP पुनः भेजने के लिए "पुनः प्रयास करें" दबाएँ।

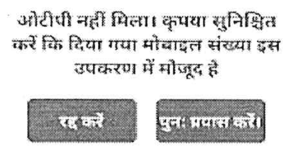

चरण 6. मतदाता सत्यापन

- मतदाता जानकारी पुष्टि के लिए प्रदर्शित की जाती है।
- यदि जानकारी सही है तो "पुष्टि करें" पर क्लिक करें। यदि सही नहीं है तो "अस्वीकार करें" पर क्लिक करें।
- पुष्टि होने पर, "मतदाता सत्यापित है" संदेश प्रकट होता है

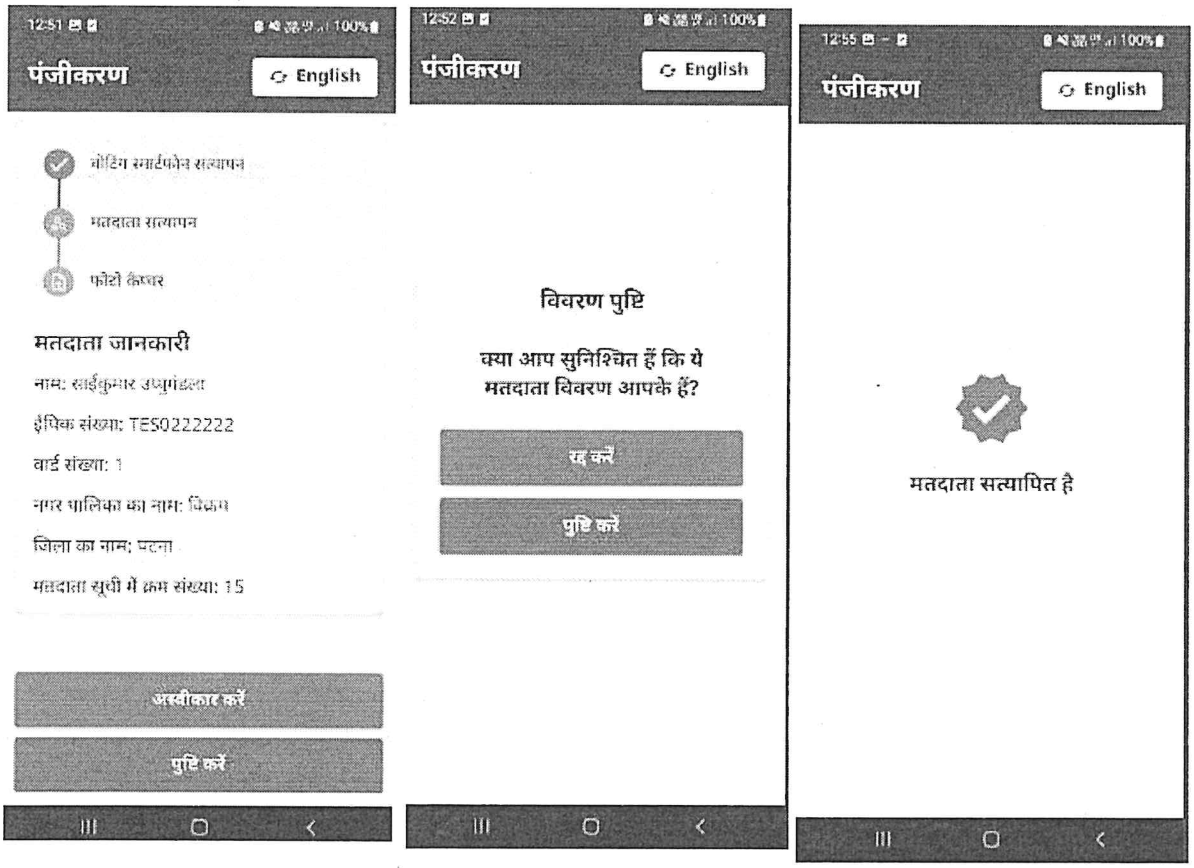

चरण 7. तस्वीर खीचना

- फोटो खींचने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- "अपनी फोटो खींचने के लिए यहाँ क्लिक करें" बटन पर क्लिक करें। कृपया सुनिश्चित करें कि जब भी आपसे पूछा जाए, तो आप सेल्फी लेने के लिए अपने कैमरे तक पहुँच प्रदान करें।
- अपने चेहरे को पैटर्न के भीतर रखें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
- यदि आप फोटो दोबारा लेना चाहते हैं तो "रीटेक" पर क्लिक करें।
- फोटो सत्यापन सफल होने पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- सफल पंजीकरण के संबंध में आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा।
- कृपया पंजीकरण प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दें।

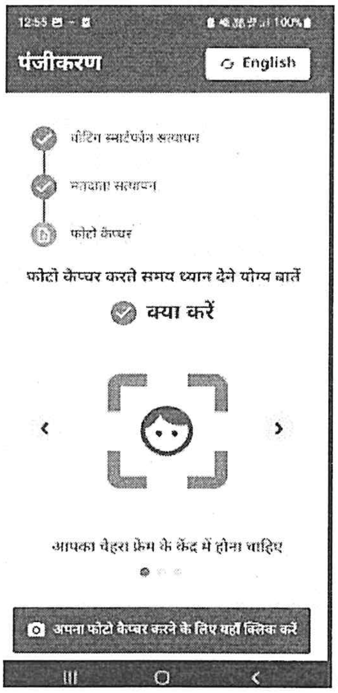

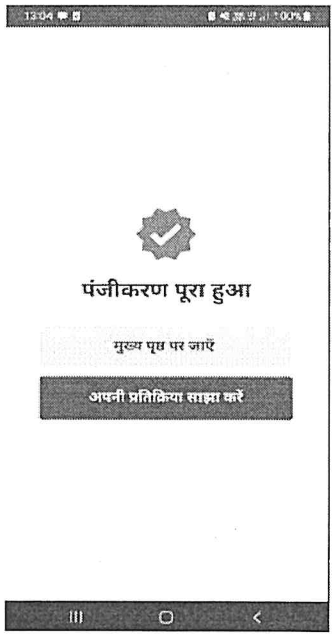

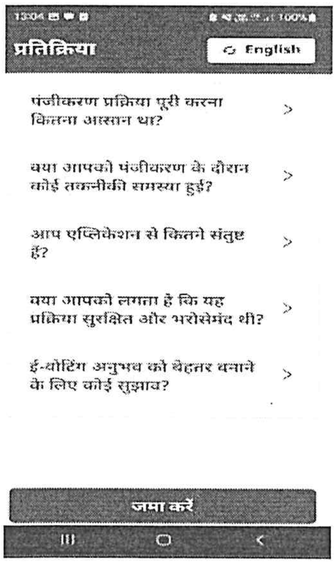

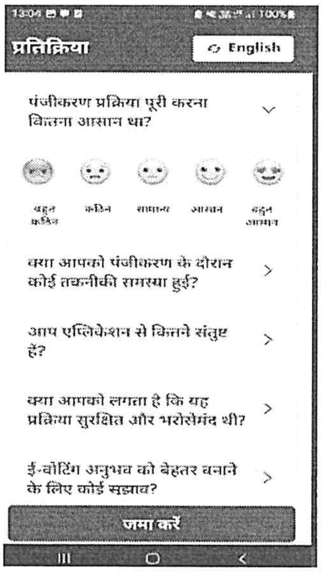

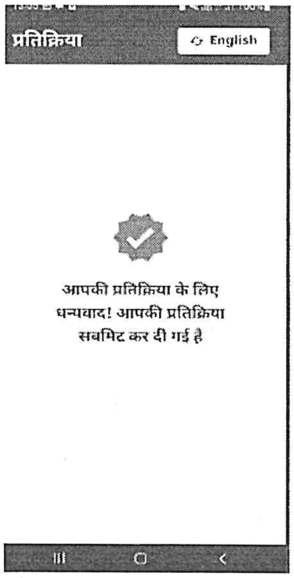

मतदान

चरण 1 आपने जिन चुनावों के लिए ई-वोटिंग के लिए पंजीकरण कराया था, उनकी मतदान तिथि का विवरण देखें।

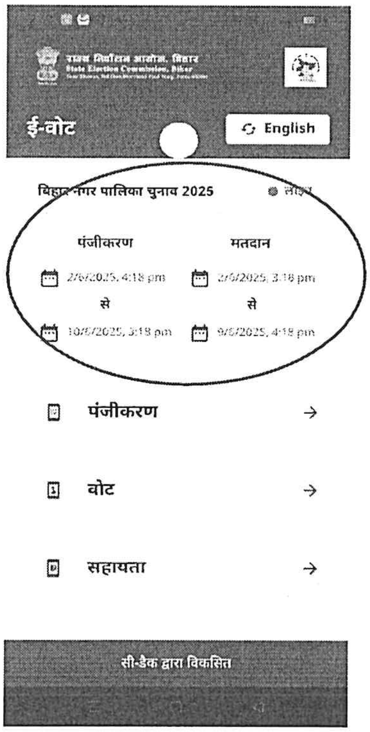

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

1. ईवोट ऐप के माध्यम से कौन वोट कर सकता है?
किसी चुनाव के केवल वे पात्र मतदाता ही मतदान के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं जिन्होंने ई-वोटिंग के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है।
मतदान उसी उपकरण का उपयोग करके किया जाना चाहिए जो पहले किया गया था। ई-वोटिंग पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाता है।

2. मैंने वह डिवाइस खो दी है जिसका उपयोग पंजीकरण के लिए किया गया था,मैं एक नए डिवाइस से वोट करूँ?
नहीं. आप किसी नए डिवाइस से वोट नहीं कर सकते.

3. ई-वोटिंग पंजीकरण के लिए उपयोग किए गए डिवाइस में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर अब सक्रिय नहीं है। क्या मैं मतदान के लिए डिवाइस में नया मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर सकता हूँ?
नहीं, आप नया मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते।

चरण 2 वोट बटन पर क्लिक करें

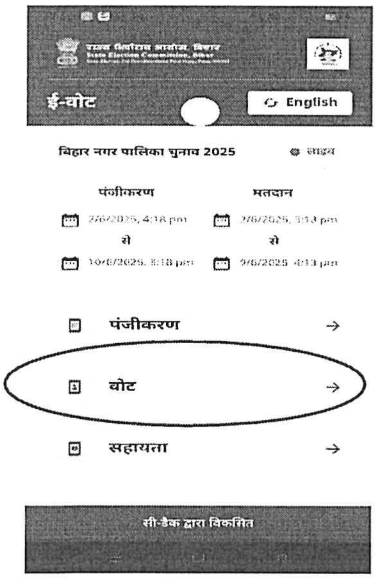

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

यदि ऐप में यह दिखाई दे तो मुझे क्या करना चाहिए:
"मतदान विंडो खुली नहीं है"
कृपया लाइव चुनाव के लिए उल्लिखित मतदान तिथि की जांच करें।
बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। केवल उसी दिन मतदान किया जा सकेगा।

चरण 3. निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जारी रखने के लिए "ओके" पर क्लिक करें

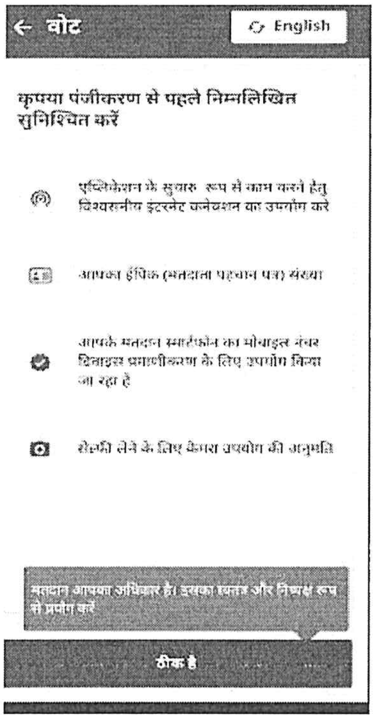

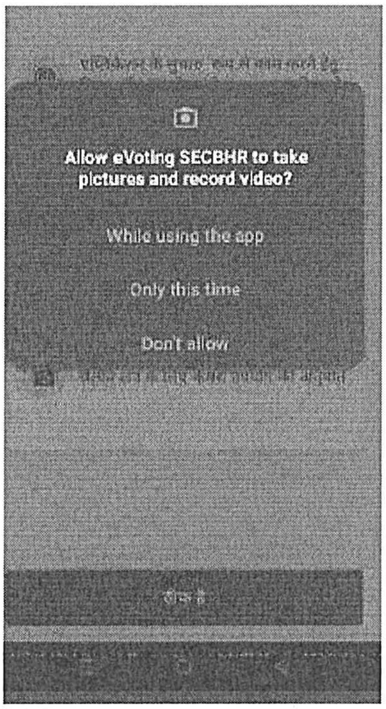

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
सेल्फी लेने के लिए कैमरा अनुमति क्या है? यह ऐप मतदाता प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए मतदाता की सेल्फी लेता है। जब ऐप कैमरा एक्सेस अनुमति की आवश्यकता पूछे, तो कृपया अनुमति देने के लिए 'अनुमति दें' पर क्लिक करें।

चरण 4. "पुष्टि करें" पर क्लिक करके डाटा साझा करने के लिए अपनी सहमती प्रदान करें

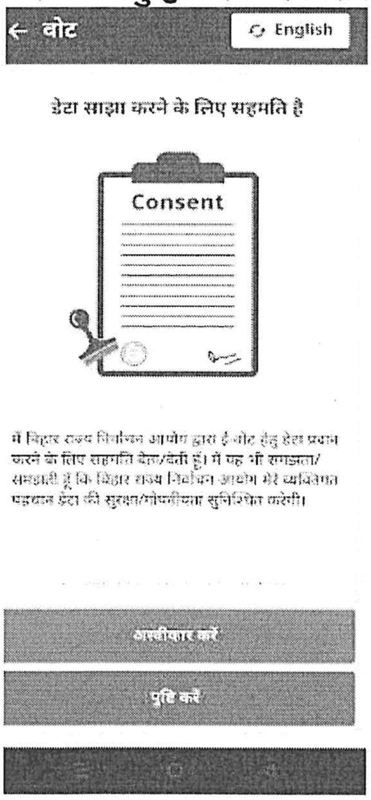

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
क्या इसके लिए सहमति प्रदान करना अनिवार्य है डेटा साझाकरण? हां, आपको अपना विवरण देना अनिवार्य है। सेवाओं का उपयोग करने के लिए डेटा साझा करने की ऐप का.

चरण 5. मतदान स्मार्टफोन सत्यापन

- अपना EPIC नंबर (वोटर आईडी) सावधानीपूर्वक दर्ज करें, जैसा कि आपके EPIC कार्ड में दिया गया है।
- ई-वोटिंग हेतु पंजीकरण हेतु उपयोग किए जा रहे मोबाइल फोन में मौजूद अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
- आपके वोटिंग स्मार्टफोन के सफल सत्यापन पर, "डिवाइस प्रमाणित" संदेश दिखाई देता है।

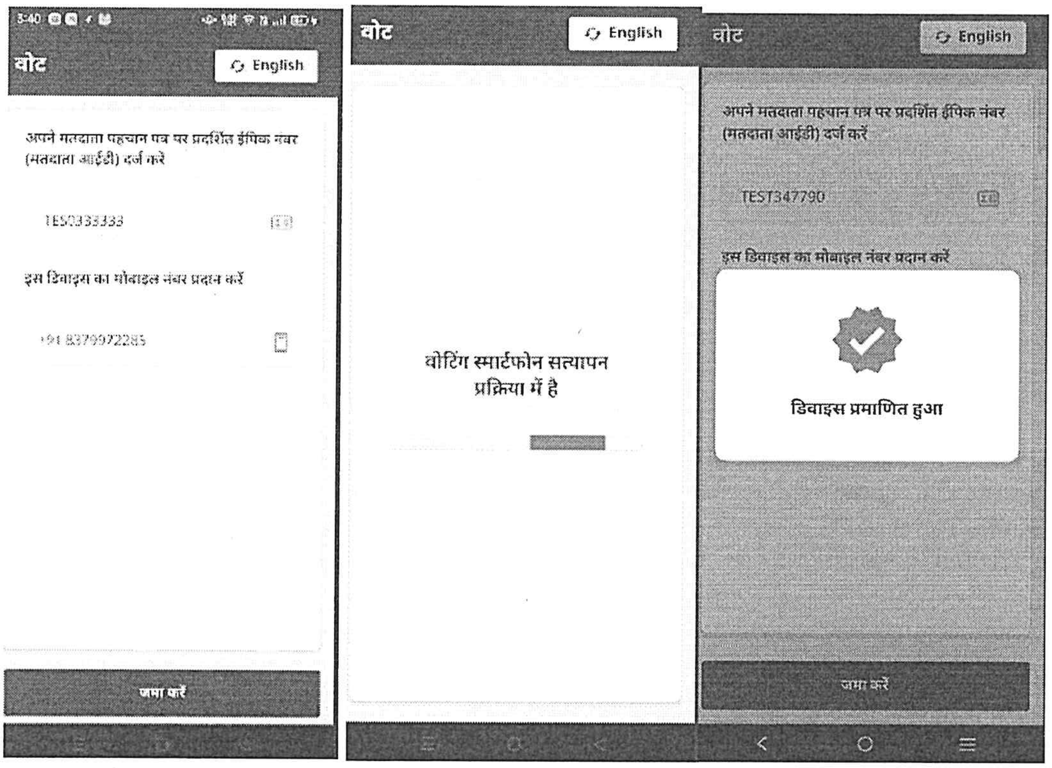

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
मुझे "ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ" संदेश मिल रहा है। यदि आपको यह संदेश प्राप्त हो तो कृपया निम्नलिखित जांचें। • क्या आपने सही फ़ोन नंबर दर्ज किया है. • मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए तथा इंस्टॉल किए गए मोबाइल फोन में मौजूद होना चाहिए। • मोबाइल नेटवर्क से संबंधित कोई समस्या नहीं है जो ओटीपी एसएमएस प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हो। उपरोक्त किसी भी स्थिति की जांच के लिए "रद्द करें" दबाएं। OTP पुनः भेजने के लिए "पुनः प्रयास करें" दबाएँ।

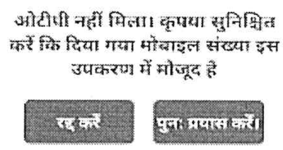

चरण 6. तस्वीर खीचना

- फोटो खींचने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- "अपनी फोटो खींचने के लिए यहाँ क्लिक करें" बटन पर क्लिक करें। कृपया सुनिश्चित करें कि जब भी आपसे पूछा जाए, तो आप सेल्फी लेने के लिए अपने कैमरे तक पहुँच प्रदान करें।
- अपने चेहरे को पैटर्न के भीतर रखें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
- यदि आप फोटो दोबारा लेना चाहते हैं तो "रीटेक" पर क्लिक करें।

चरण 7. मतदाता विवरण की पुष्टि

- मतदाता प्रमाणीकरण सफल होने पर, मतदाता द्वारा पुष्टि के लिए मतदाता विवरण प्रदर्शित किया जाता है।
- कृपया "पुष्टि करें" पर क्लिक करके मतदाता विवरण की पुष्टि करें।
- यदि नहीं, तो "अस्वीकार करें" पर क्लिक करें।

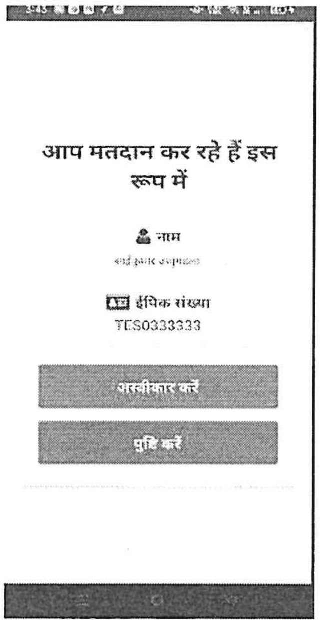

चरण 8. डिजिटल मतपत्र प्रदर्शन और मतदान

- मतदाता की सफल पुष्टि पर, चुनाव में शामिल कुल पदों की संख्या प्रदर्शित की जाती है।
- अपना वोट डालने के लिए पोस्ट-वार डिजिटल मतपत्र प्रदर्शित किया जाता है।
- कृपया अपना चयन करने से पहले उम्मीदवारों की संख्या देखें और उम्मीदवारों की पूरी सूची देखने के लिए स्क्रॉल करें।
- आप प्रत्येक पोस्ट के लिए अपना वोट दे सकते हैं अथवा चुनिंदा पोस्ट के लिए वोटिंग छोड़ सकते हैं। एक बार छोड़ देने के बाद, दिए गए पोस्ट के लिए दोबारा वोट करना संभव नहीं है।
- वोट देने के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार के बगल में स्थित "वोट" बटन पर क्लिक करें।
- "पुष्टि करें" पर क्लिक करके अपने मतदान चयन की पुष्टि करें। यदि आप अपना चयन फिर से करना चाहते हैं, तो 'रद्द करें' पर क्लिक करें।
- दिए गए चुनाव में सभी पात्र पदों के लिए अपने मतदान का प्रयोग करें।

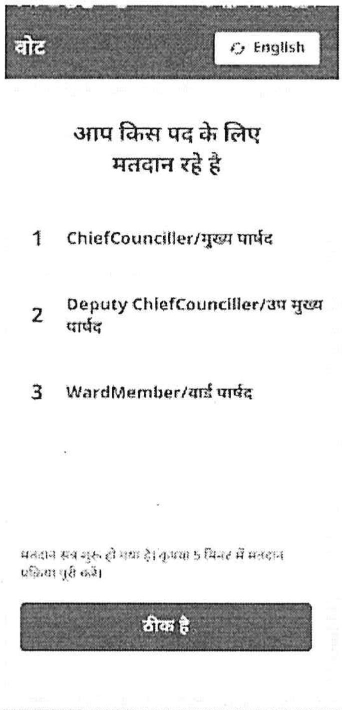

नोटः सभी पदों के लिए मतदान प्रथम मतपत्र प्रदर्शित होने के 5 मिनट के भीतर

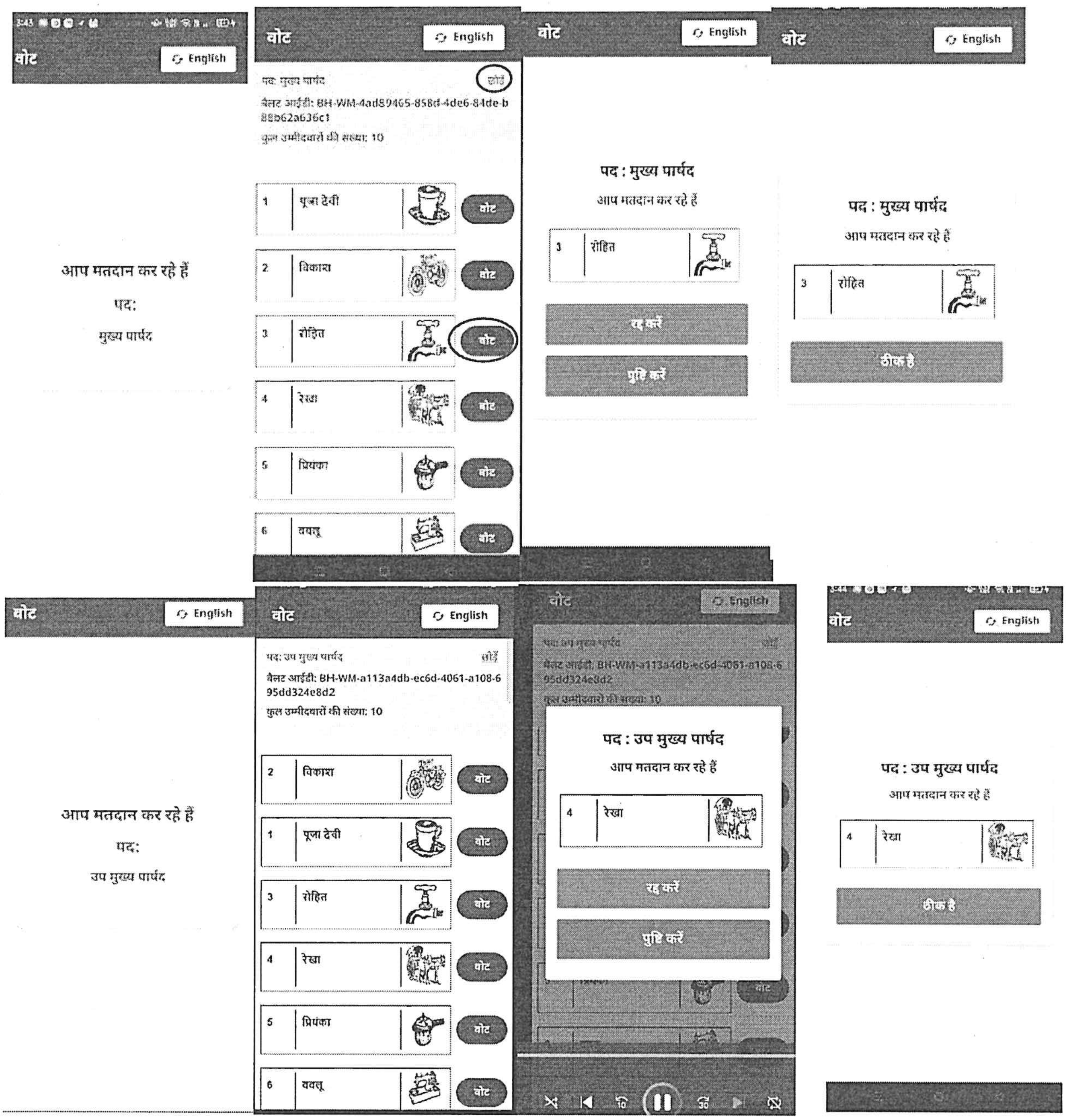
वोट
English
आप मतदान कर रहे हैं
पद:
मुख्य पार्षद
बैलट आईडी: BH-WM-4ad89465-858d-4de6-84de-b88b62a636c1
कुल उम्मीदवारों की संख्या: 10
1 पूजा देवी
2 विकास
3 रोहित
4 रेखा
5 प्रियंका
6 बबलू
पद : मुख्य पार्षद
आप मतदान कर रहे हैं
रद्द करें
पुष्टि करें
ठीक है
उप मुख्य पार्षद
बैलट आईडी: BH-WM-a113a4db-ec6d-4061-a108-695dd324e8d2
पद : उप मुख्य पार्षद

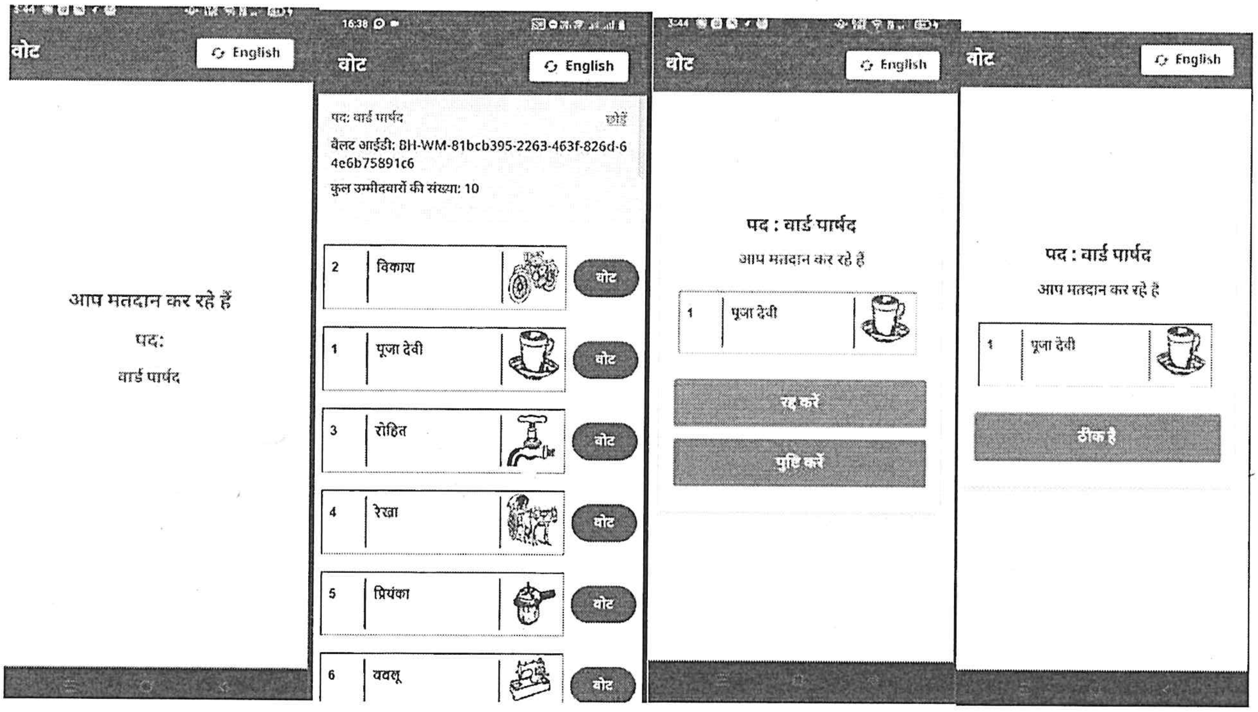

चरण 9. वीवीपैट पर्चियों का प्रदर्शन

- आपकी जानकारी के लिए प्रत्येक पद के लिए आपके वोट को प्रदर्शित करने वाली वीवीपैट पर्ची 20 सेकंड के लिए प्रदर्शित की जाएगी।
- मतदान सफलतापूर्वक पूरा होने पर, सफलता संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। आपको सफल मतदान के बारे में अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भी प्राप्त होगा।
- कृपया मतदान प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दें।

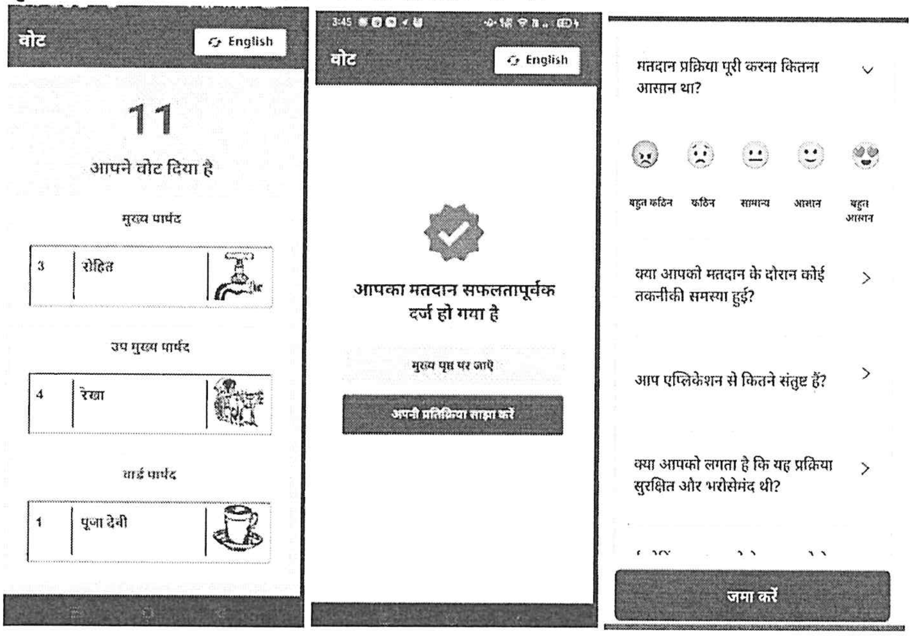

सहायता

आप मोबाइल ऐप के होम पेज से सहायता अनुभाग पर जा सकते हैं।

ऐप के सहायता अनुभाग में निम्नलिखित जानकारी शामिल है।

- उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका
- निर्देश और हेल्पलाइन नंबर
- वीडियो ट्यूटोरियल
- पंजीकरण और मतदान